Keeping in view the public interest, the RVNL should ensure to re-locate these schemes in their original condition. The Rail Vikas Nigam will take immediate steps for the repair of existing schemes and re-construction afresh.

The Land Acquisition Officer (Railway) Bilaspur should ensure before disbursement of Rehabilitation and Resettlement benefits that if any family's name included in two villages in that condition the benefit may be given in one place after verifying the eligibility of R&R scheme The benefit to any undeserved family should not be given wrongly.

विधि विभाग

अधिसूचना

शिमला–2, 5 जनवरी, 2026

संख्याः एल.एल.आर.–डी.(6)–22 / 2025–लेज.––हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 200 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (संशोधन) विधेयक, 2025 (2025 का विधेयक संख्यांक 19) को दिनांक 31–12–2025 को अनुमोदित कर दिया है तथा अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अधीन, विधेयक के अंग्रेजी पाठ को राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित करने के लिए प्राधिकृत कर दिया है। अतः उपरोक्त विधेयक को वर्ष 2026 के अधिनियम संख्यांक 1 के रूप में अंग्रेजी प्राधिकृत पाठ सहित राजपत्र (ई–गजट) हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किया जाता है।

आदेश द्वारा,

हस्ताक्षरित / –
(डॉ0 विवेक ज्योति)
संयुक्त विधि परामर्शी एवं संयुक्त सचिव (विधि)।

2026 का अधिनियम संख्यांक 1

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (संशोधन) अधिनियम, 2025

धाराओं का क्रम

धाराः

1. संक्षिप्त नाम।
2. धारा 2 का संशोधन।
3. धारा 4 का संशोधन।
4. धारा 5 का संशोधन।
5. धारा 5–ख का संशोधन।
6. धारा 7–क का संशोधन।
7. धारा 9 का संशोधन।
8. धारा 31 का संशोधन।
9. धारा 32 का संशोधन।
10. धारा 33 का संशोधन।
11. धारा 38 का संशोधन।
12. धारा 39 का संशोधन।

13. धारा 40 का संशोधन।
14. धारा 41 का संशोधन।
15. धारा 60 का संशोधन।
16. धारा 64 का संशोधन।
17. धारा 76 का संशोधन।
18. धारा 99 का संशोधन।
19. धारा 115 का प्रतिस्थापन।
20. धारा 120 का संशोधन।
21. धारा 121 ग का अन्तःस्थापन।
22. धारा 122 का संशोधन।
23. धारा 133 का संशोधन।
24. धारा 134 का संशोधन।
25. धारा 142 का संशोधन।
26. धारा 144 का संशोधन।
27. धारा 145 का संशोधन।
28. धारा 151 का प्रतिस्थापन।
29. धारा 152 का संशोधन।
30. धारा 155 का संशोधन।
31. धारा 158–द का संशोधन।
32. धारा 160 का संशोधन।
33. धारा 160–क का संशोधन।
34. धारा 161 का संशोधन।
35. धारा 167 का संशोधन।
36. धारा 169 का संशोधन।
37. धारा 172 का संशोधन।
38. धारा 186 का संशोधन।
39. धारा 190 का संशोधन।
40. अनुसूची–3 का प्रतिस्थापन।

————————

2026 का अधिनियम संख्यांक 1

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (संशोधन) अधिनियम, 2025

(माननीय राज्यपाल महोदय द्वारा तारीख 31 दिसम्बर, 2025 को यथाअनुमोदित)

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994, (1994 का अधिनियम संख्यांक 4) का और संशोधन करने के लिए **अधिनियम**।

भारत गणराज्य के छिहत्तरवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित होः–

1. **संक्षिप्त नाम.**––इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (संशोधन) अधिनियम, 2025 है।

2. **धारा 2 का संशोधन.**––हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 (जिसे इसमें इसके पश्चात् "मूल अधिनियम" कहा गया है) की धारा 2 में,–

(क) खण्ड (22) में, "दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 2" शब्दों, चिन्ह और अंकों के स्थान पर "भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (2023 का 46) की धारा 2" शब्द, चिन्ह और अंक रखे जाएंगे।

(ख) खण्ड (35)में, "भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धारा 21" शब्दों, चिन्ह और अंकों के स्थान पर "भारतीय न्याय संहिता, 2023 (2023 का 45) की धारा 2 (28)'' शब्द, चिन्ह और अंक रखे जाएंगे।

3. **धारा 4 का संशोधन.**––मूल अधिनियम की धारा 4, की उप–धारा (3) के पश्चात् निम्नलिखित अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:–

"(4) यदि कोई व्यक्ति,–

(क) किसी निर्वाचक नामावली की तैयारी, पुनरीक्षण या शुद्धि; या

(ख) किसी प्रविष्टि के किसी निर्वाचक नामावली में सम्मिलित या उसमें अपवर्जित किए जाने के सम्बन्ध में,

लिखित रूप में कोई कथन या ऐसी घोषणा करता है जो मिथ्या है और जिसके मिथ्या होने का या तो उसे ज्ञान है या विश्वास है या जिसके सत्य होने का उसे विश्वास नहीं है, तो वह धारा 155 के अनुसार दण्डित किया जाएगा।"।

4. **धारा 5 का संशोधन.**––मूल अधिनियम की धारा 5 में,–

(क) उप–धारा (1) में,

(i) द्वितीय परन्तुक में,––

(अ) "उपायुक्त" शब्द के पश्चात् "या निदेशक" शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे;

(आ) "तीस" शब्द और "विशेष बैठक" शब्दों के स्थान पर "तीन" शब्द और "विशेष बैठक" शब्द क्रमशः रखे जाएंगे; और

(ii) तृतीय परन्तुक में, "तीस" शब्द के स्थान पर "सात" शब्द रखा जाएगा;

(ख) उप–धारा (3) में,–

(i) ''साधारण'' शब्द के पश्चात् ''या विशेष'' शब्द अन्तःस्थापित किए जाएंगे; और

(ii) परन्तुक के अन्त में, ''।'' चिन्ह के स्थान पर '':" चिन्ह रखा जाएगा और तत्पश्चात् निम्नलिखित अंतःस्थापित'' किया जाएगा, अर्थात्:––

"परन्तु यह और कि जनसाधारण की जागरूकता के प्रयोजन से और किसी भी दिवस के समारोह इत्यादि से आयोजित विशेष बैठक गणपूर्ति के अभाव में स्थगित नहीं की जाएगी।"।

5. **धारा 5 ख का संशोधन.**––मूल अधिनियम की धारा 5–ख की उप–धारा (1) में, "8 मार्च को" अंक और शब्दों के स्थान पर "फरवरी के पहले रविवार को" शब्द रखे जाएंगे।

6. **धारा 7–क का संशोधन.**––मूल अधिनियम की धारा 7–क की उप–धारा (3) में, "।" चिन्ह के स्थान पर ":" चिन्ह रखा जाएगा और तत्पश्चात् निम्नलिखित अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:–

"परन्तु ग्राम पंचायत का प्रधान उप–ग्राम सभा की बैठकों में विशेष आमंत्रिती के रूप में आमंत्रित किया जाएगा तथा प्रधान उक्त बैठक में भाग ले सकेगा।"।

7. धारा 9 का संशोधन.––मूल अधिनियम की धारा 9 की उप–धारा (1) में, "सार्वजनिक होगी और" शब्दों का लोप किया जाएगा।

8. धारा 31 का संशोधन.––मूल अधिनियम की धारा 31 की उप–धारा (1) में, "दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973'' शब्दों, चिन्ह और अंकों के स्थान पर "भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023" (2023 का 46) शब्द, चिन्ह और अंक रखे जाएंगे।

9. धारा 32 का संशोधन.––मूल अधिनियम की धारा 32 की उप–धारा (2) में,–

(क) "दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 125" में शब्दों, चिन्ह और अंकों के स्थान पर ''भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (2023 का 46) की धारा 144" शब्द, चिन्ह और अंक रखे जाएंगे; और

(ख) "पांच सौ रुपये" शब्दों के स्थान पर "एक हजार रुपये" शब्द रखे जाएंगे।

10. धारा 5 का संशोधन.––मूल अधिनियम की धारा 33 में, "एक सौ रुपये से अनधिक" शब्दों के स्थान पर "एक हजार रुपये तक" शब्द रखे जाएंगे।

11. धारा 38 का संशोधन.––मूल अधिनियम की धारा 38 में,––

(क) खण्ड (ख) में ''भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धारा 379" शब्दों, चिन्ह और अंकों के स्थान पर "भारतीय न्याय संहिता, 2023 (2023 का 46) की धारा 303 (2)" शब्द, चिन्ह, कोष्ठक और अंक रखे जाएंगे; और

(ख) खण्ड (ग) में "दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 109 या 110" शब्दों, चिन्ह और अंकों के स्थान पर ''भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (2023 का 46) की धारा 128 या 129" शब्द, चिन्ह और अंक रखे जाएंगे।

12. धारा 39 का संशोधन.––मूल अधिनियम की धारा 39 में, "दो सौ रुपये" शब्दों के स्थान पर "एक हजार रुपये" शब्द रखे जाएंगे।

13. धारा 40 का संशोधन.––मूल अधिनियम की धारा 40 में, "दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 202" शब्दों, चिन्ह और अंकों के स्थान पर "भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (2023 का 46) की धारा 225" शब्द, चिन्ह और अंक रखे जाएंगे।

14. धारा 41 का संशोधन.––मूल अधिनियम की धारा 41 में,–

(क) उप–धारा (1) में, "दो हजार रुपये" शब्दों के स्थान पर "पच्चीस हजार रुपये" शब्द रखे जाएंगे; और

(ख) उप–धारा (2) में, "पांच हजार रुपये" शब्दों के स्थान पर "पचास हजार रुपये" शब्द रखे जाएंगे।

15. धारा 60 का संशोधन.––मूल अधिनियम की धारा 60 की उप–धारा (4) में, "भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973" शब्दों, चिन्ह और अंकों के स्थान पर "भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023, (2023 का 47) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (2023 का 46)" शब्द, चिन्ह और अंक रखे जाएंगे।

16. धारा 64 का संशोधन.––मूल अधिनियम की धारा 64 में,

(क) उप–धारा (2) में, "दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 7" शब्दों, चिन्ह और अंकों के स्थान पर "भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 7" शब्द, चिन्ह और अंक रखे जाएंगे; और

(ख) उप–धारा (5) में, "दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 के अध्याय 33" शब्दों, चिन्ह और अंक के स्थान पर "भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (2023 का 46) के अध्याय 34" शब्द, चिन्ह और अंक रखे जाएंगे।

17. धारा 76 का संशोधन.––मूल अधिनियम की धारा 76 में, "भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धारा 75 या दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 356 या 360'' शब्दों, चिन्हों और अंकों के स्थान पर "भारतीय न्याय संहिता, 2023 (2023 का 45) की धारा 13 या भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (2023 का 46) की धारा 394 या 401" शब्द, चिन्ह और अंक रखे जाएंगे।

18. धारा 99 का संशोधन.––मूल अधिनियम की धारा 99 में,–

(क) उप–धारा (5) में, "।" चिन्ह के स्थान पर ":" चिन्ह रखा जाएगा और तत्पश्चात् निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:–

"परन्तु वेतन का संदाय करने के लिए पंचायत समिति निधि से रकम सम्बद्व पंचायत समिति के सचिव के हस्ताक्षराधीन निकाली जाएगी, जिसके लिए कार्योत्तर अनुमोदन सभा से उसकी तुरन्त आगामी बैठक में अभिप्राप्त किया जाएगा।''; और

(ख) उप–धारा (6) में, "।" चिन्ह के स्थान पर ":" चिन्ह रखा जाएगा और तत्पश्चात् निम्नलिखित परन्तुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:–

"परन्तु वेतन का संदाय करने के लिए जिला परिषद् निधि से रकम सम्बद्व जिला परिषद् के सचिव के हस्ताक्षराधीन निकाली जाएगी, जिसके लिए कार्योत्तर अनुमोदन सभा से उसकी तुरन्त आगामी बैठक में अभिप्राप्त किया जाएगा।''।

19. धारा 115 का प्रतिस्थापन.––मूल अधिनियम की धारा 115 के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:––

''115. बकाया की वसूली.––(1) पंचायत का सचिव पंचायत द्वारा किसी व्यक्ति से दावा करने योग्य किसी कर, जल दर, किराया, फीस या किसी अन्य रकम के बकाया की वसूली हेतु ऐसे व्यक्ति को नोटिस जारी करके समस्त अवश्यक कदम उठाएगा।

(2) सम्बद्ध खण्ड विकास अधिकारी, पंचायत समिति और ग्राम पंचायत की बाबत ऐसे व्यक्तियों जिनसे ऐसी रकम देय है कि सूची सहित वसूलीय रकम के ब्यौरे कलक्टर को प्रस्तुत करेगा।

(3) सम्बद्ध मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद् की बाबत ऐसे व्यक्तियों जिनसे ऐसी रकम देय है की सूची सहित वसूलीय रकम के ब्यौरे कलक्टर को प्रस्तुत करेगा।

(4) पंचायत द्वारा दावा की गई रकम भू–राजस्व के बकाया के रूप में कलक्टर द्वारा वसूल की जा सकेगीः

परन्तु राज्य सरकार आदेश द्वारा हिमाचल प्रदेश भू–राजस्व अधिनियम, 1953 (1954 का 6) के अधीन किसी अन्य अधिकारी को कलक्टर की शक्तियों का प्रयोग करने के लिए नियुक्त कर सकेगी।''।

20. धारा 120 का संशोधन.––मूल अधिनियम की धारा 120 में, उप–धारा (3) के पश्चात् निम्नलिखित अतःस्थापित किया जाएगा, अर्थातः–

"(4) यदि कोई पंचायत, राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचन कार्यक्रम जारी करने के पश्चात् अपरिहार्य परिस्थिति या जन– साधारण द्वारा बहिष्कार या किन्हीं अन्य कारणों से गठित नहीं की जाती है तो पश्चात्वर्ती गठित ऐसी पंचायत की अवधि राज्य की अन्य पंचायतों के साथ–साथ रहेगी।''।

21. धारा 121 ग का अन्तःस्थापन.––मूल अधिनियम की धारा 121–ख के पश्चात् निम्नलिखित अतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:–

"121–ग. निर्वाचन व्यय के लेखे सौंपने में असफल रहने पर निरर्हता.–यदि प्राधिकृत अधिकारी का समाधान हो जाता है कि कोई व्यक्ति,–

(क) इस अधिनियम के अधीन अपेक्षित रीति और समय के भीतर निर्वाचन व्यय के लेखे सौंपने में असफल हो गया है ; या

(ख) उसके द्वारा सौंपे गए लेखे विहित प्रारूप के अनुसार नहीं हैं ; और

(ग) उसके लिए कोई अच्छा हेतुक या स्पष्टीकरण नहीं है, तो वह निर्वाचन प्रत्याशियों के नामों को जिला निर्वाचन अधिकारी को भेजेगा, जो राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा ऐसे प्रत्याशियों को पंचायत के लिए चुने जाने और पदाधिकारी होने के लिए राजपत्र, में आदेश के प्रकाशन की तारीख से तीन वर्ष की अवधि हेतु निरर्हित घोषित करेगा और निर्वाचित पदाधिकारी के निर्वाचन को शून्य घोषित करेगाः

परन्तु कोई ऐसा प्रत्याशी ऐसे आदेश के प्रकाशन से तीस दिन की अवधि के भीतर मण्डल आयुक्त को अपील कर सकेगा और उस का आदेश अंतिम होगा।"।

22. धारा 122 का संशोधन.––मूल अधिनियम की धारा 122 में,–

(क) उप धारा (1) में,–

(i) खण्ड (खख) में, "आचरण का दोषी पाया गया है," शब्दों के पश्चात् "जब तक कि ऐसी तारीख जिसको ऐसे आचरण के बारे में प्राधिकृत अधिकारी का निष्कर्ष दिया गया है से पांच वर्ष की कालावधि का अवसान न हो गया हो" शब्द अन्तःस्थापित किए जाएंगे;

(ii) खण्ड (घ) में "अपराध का दोषसिद्ध ठहराया गया है" शब्दों के पश्चात् "जब तक उसकी दोषसिद्धि से पांच वर्ष की अवधि का अवसान न हो गया है।" शब्द अतःस्थापित किए जाएंगे;

(iii) खण्ड (ङ) में, "दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 110" शब्द, चिन्ह और अंकों के स्थान पर "भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023" (2023 का 46) शब्द, चिन्ह और अंक रखे जाएंगे ;

(iv) खण्ड (ढ) के परन्तुक का लोप किया जाएगा ;

(ख) उप धारा (1) के पश्चात् निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थातः–

"(1–क) यदि कोई पूर्व पदाधिकारी, पंचायत के किसी धन या निधि या अन्य सम्पत्ति जिसमें वह एक पक्षकार रहा है की हानि, दुर्विनियोजन, दुर्व्यय, दुरूपयोजन हेतु दोषी पाया जाता है या जो अवचार के या उसके कर्त्तव्यों की घोर उपेक्षा के कारण उसके द्वारा हुई है जब तक कि उसके पद छोड़ने से छह वर्ष की अवधि का अवसान न हो गया हो, पंचायत का कोई पदाधिकारी चुने जाने के लिए निरर्हित होगा; और

(ग) उप–धारा (2) में "(1)" कोष्ठक और अंक के पश्चात् "या उप धारा (1क)" कोष्ठक, अक्षर और अंक अंतःस्थापित किए जाएंगे।

23. धारा 133 का संशोधन.––मूल अधिनियम की धारा 133 की उप धारा (1) में "निदेशक" शब्द के पश्चात् "या उस द्वारा प्राधिकृत कोई अन्य अधिकारी" शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे।

24. धारा 134 का संशोधन.––मूल अधिनियम की धारा 134 में,–

(क) उप धारा (2) के खण्ड (छ) में "जिला परिषद" शब्दों के पश्चात् "या निदेशक" शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे;

(ख) उप धारा (3)के खण्ड (छ) में, "जिला परिषद्" शब्दों के पश्चात "या निदेशक या राज्य सरकार'' शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे।

25. धारा 142 का संशोधन.––मूल अधिनियम की धारा 142 में,–

(क) उप धारा (1) में "पदाधिकारी," शब्द और चिन्ह के पश्चात् "कार्यालय में अपनी पदावधि के दौरान पूर्व पदाधिकारी" शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे।

(ख) उप धारा (2) के पश्चात् निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्;––

"(3) ऐसे संबंधित नियमित, संविदा, दैनिक वेतनभोगी, आउटसोर्स या अन्य योजना आधारित कर्मचारियों जैसे कनिष्ठ अभियंता, ग्राम रोजगार सहायक, तकनीकी सहायक, लेखापाल एवं अन्य समान कार्मिकों, जो पचायतों तथा पंचायती राज विभाग द्वारा नियोजित किए गये हैं, का उत्तरदायित्व भी निर्धारित किया जाएगा, यदि वे उन्हें सौंपे गए कर्त्तव्यों का पालन करने में असफल रहते हैं या ऐसे कर्त्तव्यों का पालन सम्यक् तत्परता से या निर्देशों के अनुसार नहीं करते हैं।''।

26. धारा 144 का संशोधन.––मूल अधिनियम की धारा 144 की उप धारा (3) के खण्ड (ख) में, "दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 के अध्याय 7 के उपबन्धों" शब्दों, संख्या, चिन्ह, अक्षर और अंकों के स्थान पर "भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (2023 का 46) के अध्याय 7 के उपबन्धों" शब्द, चिन्ह और अंक रखे जाएंगे।

27. धारा 145 का संशोधन.––मूल अधिनियम की धारा 145 में,–

(क) उप–धारा (1) में,

(i) खण्ड (क) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:–

"(क) जो दाण्डिक आरोप या अन्यथा के लिए चौदह दिन से अधिक की अवधि के लिए अभिरक्षा में रहा हो या जिसके विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता, 2023 के अध्याय 4, 7, 9, 10, 13 और अध्याय 5 की धारा 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 80, 88 से 94 तक, 99 और अध्याय 6 की धारा 103, 104, 107, 108, 109, 141, 146 अध्याय 17 और अध्याय 18 की धारा 310(2), (3), 311, 312, 316(4), (5) 318(4), 326(छ), 331(6) और (8) तक, और या हिमाचल प्रदेश आबकारी अधिनियम, 2011 के अध्याय 6 की धारा 39 से 59 तक या लैंगिक अपराध से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 या भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 के अधीन या खाद्य सामग्री और औषधि अपमिश्रण के निवारण, स्त्रियों तथा बालकों के सम्बन्ध में अनैतिक व्यापार दमन और सिविल अधिकारों के संरक्षण सम्बन्धी तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन किन्हीं दाण्डिक कार्यवाहियों में आरोप विरचित किए गए हैं:

परन्तु इस खंड के अधीन किसी पदाधिकारी को निलंबित करने के लिए आरोप पत्र के साथ कारण बताओ नोटिस जारी करने की आवश्यकता नहीं होगी और निलंबित किया गया कोई भी पदाधिकारी, जिसके विरुद्ध किसी आपराधिक कार्यवाही में आरोप विरचित किए गए हैं, सक्षम न्यायालय के अंतिम निर्णय तक निलंबित रहेगाः

परन्तु यह और कि किसी आपराधिक आरोप या अन्य कारण से चौदह दिन से अधिक समय तक हिरासत में रहने के बाद निलंबित किए गए पदाधिकारी का निलंबन रद्द कर दिया जाएगा यदि अन्वेषण अभिकरण द्वारा हिरासत की तारीख से छह मास के भीतर सक्षम न्यायालय में आरोप पत्र प्रस्तुत नहीं किया जाता है;"; और

(ii) उप–धारा (1) के परन्तुक का लोप किया जाएगा।

(ख) उप–धारा (2–क) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:–

"(2–क) उप–धारा (1) के खंड (ग) या उप–धारा (2) के अधीन किसी पदाधिकारी को तब तक निलंबित नहीं किया जाएगा जब तक कि उसे, यथास्थिति, आरोप पत्र या प्रारंभिक जांच या निरीक्षण या लेखा परीक्षा रिपोर्ट की प्रति के साथ कारण बताओ नोटिस जारी करके उसे सुनवाई का असवर न दे दिया जाए।";

(ग) उप–धारा (3) में, "उप–धारा (1) या (2)" शब्दों, चिन्हों और अंक के स्थान पर "उप–धारा (1) का खण्ड (ग) उप धारा (2)" शब्द, चिन्ह और अंक रखा जाएगा; और

(घ) उप–धारा (3) के पश्चात् निम्नलिखित अतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्–

"(3–क) ऐसे मामलों में, यदि धारा 146 के अधीन जांच छह मास के भीतर पूरी नहीं होती है, तो जांच करने वाला अधिकारी संबंधित प्राधिकारी को लिखित में कारण प्रस्तुत करेगा और इसके अतिरिक्त छह मास के लिए एक बार विस्तार दिया जा सकेगा।

(3–ख) यदि देरी निर्वाचित प्रतिनिधि की ओर से विधि के अनुसार जांच में असहयोग करने के लिए होती है, तो निलंबन आदेश छह मास की समाप्ति के बाद रद्द नहीं किया जाएगा और जांच अधिकारी निर्धारित अवधि के भीतर एकतरफा जांच के लिए आगे बढ़ेगा।

(3–ग) उक्त धारा की उप–धारा (3) के अधीन निलंबन के प्रतिसंहरण का आदेश धारा 146 के अधीन जांच को तब तक प्रभावित नहीं करेगा जब तक कि इसका निष्कर्ष निकल नहीं जाता है।"; और

(ङ) उपधारा (4) में, चिन्ह"।", के स्थान पर ":" चिन्ह रखा जाएगा और तत्पश्चात् निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्–

"परन्तु यदि पंचायतों के निर्वाचित पदाधिकारियों को इस सीमा तक निलंबित कर दिया जाए कि शेष निर्वाचित पदाधिकारियों की संख्या पंचायत की बैठक बुलाने के लिए अपेक्षित गणपूर्ति पूरी नहीं करते हैं, तो राज्य सरकार या ऐसा प्राधिकारी जैसा विहित किया जाए संबंधित ग्राम सभा की सिफारिशों पर, ऐसी समिति के प्रमुख सहित व्यक्तियों की एक समिति गठित कर सकेगा, जो ऐसे निलंबित पदाधिकारियों पर अंतिम निर्णय लंबित रहने तक पंचायत की शक्तियों का प्रयोग, कर्त्तव्यों का पालन और कार्यों का निर्वहन करेगी।"।

28. धारा 151 का प्रतिस्थापन.––धारा 120 का संशोधन.––मूल अधिनियम की धारा 151 के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थातः–

"**151. किसी सदस्य, पदाधिकारी या सेवक द्वारा संविदा में हित अर्जित करने के लिए शास्ति.**––यदि पचांयत का कोई सदस्य या पदाधिकारी या सेवक, पंचायत के साथ या उसके द्वारा या उसकी ओर से की गई संविदा या किए गए किसी नियोजन में प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः कोई वैयक्तिक अंश या हित, जानते हुए अर्जित करता है तो उसके बारे में यह समझा जाएगा कि उसने भारतीय न्याय संहिता, 2023 (2023 का 45) की धारा 202 के अधीन अपराध किया है।

स्पष्टीकरण.––इस धारा के प्रयोजनों के लिए "पंचायत के सेवक" के अन्तर्गत समस्त सम्मिलित हैं जो पंचायत का नियुक्ति प्राधिकारी और उनके पारिश्रमिक के स्त्रोत को विचार में लाए बिना पंचायत में सेवारत है।"।

29. धारा 152 का संशोधन.––मूल अधिनियम की धारा 152 में, "भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 341" शब्दों, चिन्हों और अंकों के स्थान पर, "भारतीय न्याय संहिता, 2023 (2023 का 45) की धारा 126 (2)" शब्द, चिन्ह, और अंक रखे जाएंगे।

30. धारा 155 का संशोधन.––मूल अधिनियम की धारा 155 में विद्यमान उपबन्ध को (1) के रूप में संख्यांकित किया जाएगा और, तत्पश्चात् निम्नलिखित अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:–

"(2) यदि कोई व्यक्ति, किसी प्रविष्टि के किसी निर्वाचक नामावली में सम्मिलित या उसमें अपवर्जित किए जाने के संबंध में लिखित रूप में कोई कथन या घोषणा करता है जो मिथ्या है और जिसके मिथ्या होने का या तो उसे ज्ञान है या विश्वास है या जिसके सत्य होने का उसे विश्वास नहीं है तो वह जुर्माने से, जो पांच हजार रुपये तक हो सकेगा, दण्डित किया जाएगा।"।

31. धारा 158–द का संशोधन.––मूल अधिनियम की धारा 158–द में,–

(क) शीर्षक में, "मतदान के दिन" शब्दों के पश्चात् "और गणना के दिन" शब्द अतःस्थापित किए जाएंगे; और

(ख) उप–धारा (1) में, "मतदान क्षेत्र में" शब्दों के पश्चात् "और मतगणना के दिन" शब्द अन्तःस्थापित किए जाएंगे।

32. धारा 160 का संशोधन.––मूल अधिनियम की धारा 160 की उपधारा (1) के अन्त में, "।" चिन्ह के स्थान ":" चिन्ह रखा जाएगा और उसके पश्चात् निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:–

"परन्तु केवल ऐसे व्यक्ति पर राज्य निर्वाचन आयुक्त के रूप में नियुक्ति के लिए विचार किया जाएगा. जिसने केन्द्र या राज्य सरकार में ग्रुप–ए या श्रेणी–I के पद पर बीस वर्ष तक कार्य किया हो और उसे निर्वाचन (निर्वाचनों) के संचालन का अनुभव हो तथा उसके विरुद्ध कोई सतर्कता या विभागीय मामला लंबित न होः

परन्तु यह और कि नियुक्ति करने से पूर्व सतर्कता अनापत्ति प्रमाण–पत्र भी प्राप्त किया जाएगा।"।

33. धारा 160–क का संशोधन.––मूल अधिनियम की धारा 160–क में, "राज्य सरकार" शब्द जहां कहीं आते हैं के स्थान पर "जिला निर्वाचन अधिकारी" शब्द रखे जाएंगे।

34. धारा 161 का संशोधन.––मूल अधिनियम की धारा 161 के खण्ड (iii) में, "आयुक्त" शब्द के स्थान पर "मण्डलायुक्त" शब्द रखा जाएगा।

35. धारा 167 का संशोधन.––मूल अधिनियम की धारा 167 की उप–धारा (2) में, "भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872'' शब्दों, चिन्हों और अंकों के स्थान "भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023'' (2023 का 47) शब्द, चिन्ह और अंक रखे जाएंगे।

36. धारा 169 का संशोधन.––मूल अधिनियम की धारा 169 की उप–धारा (2) में, "दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 345 और 346" शब्दों, चिन्हों और अंकों के स्थान पर "भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (2023 का 46) की धारा 384 और 385" शब्द, चिन्ह और अंक रखे जाएंगे।

37. धारा 172 का संशोधन.––मूल अधिनियम की धारा 172 में, "भारतीय दण्ड संहिता, 1860 के अध्याय 9–क" शब्दों, चिन्हों और अंकों के स्थान पर "भारतीय न्याय संहिता, 2023 के अध्याय 9" शब्द, चिन्ह और अंक रखे जाएंगे।

38. धारा 186 का संशोधन.––मूल अधिनियम की धारा 186 की उप–धारा (3) में, "सभी नियम" शब्दों के पश्चात् "अधिनियम की धारा 135 के अधीन बनाए गए नियमों के सिवाए" शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे।

39. धारा 190 का संशोधन.––मूल अधिनियम की धारा 190 में, "भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धारा 21 के अर्थ" शब्दों, चिन्हों और अंकों के स्थान "भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 2(28)के अर्थ " शब्द, चिन्ह और अंक रखे जाएंगे।

40. अनुसूची–3 का प्रतिस्थापन.––मूल अधिनियम से संलग्न अनुसूची–3 के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:–

"अनुसूची–3

(धारा 32 देखें)

ग्राम पंचायत द्वारा संज्ञेय अपराध

संख्या	अधिनियम या संहिता का नाम	अपराध	धारा
1.	भारतीय न्याय संहिता, 2023	स्वेच्छया उपहति कारित करना	115
2.	भारतीय न्याय संहिता, 2023	प्रकोपन पर स्वेच्छा उपहतिकारित करना	122(1)
3.	भारतीय न्याय संहिता, 2023	सदोष अवरोध	126
4.	भारतीय न्याय संहिता, 2023	गंभीर प्रकोपन होने से अन्यथा हमला करने या आपराधिक बल का प्रयोग करने के लिए दण्ड।	131
5.	भारतीय न्याय संहिता, 2023	दंगा	194
6.	भारतीय न्याय संहिता, 2023	समनों की तामील या अन्य कार्यवाही से बचने के लिए फरार हो जाना।	206
7.	भारतीय न्याय संहिता, 2023	समन की तामील का या अन्य कार्यवाही का या उसके प्रकाशन का निवारण करना।	207
8.	भारतीय न्याय संहिता, 2023	शपथ या प्रतिज्ञान से इंकार करना, जबकि लोक सेवक द्वारा वह वैसा करने के लिए सम्यक् रूप से अपेक्षित किया जाए।	213
9.	भारतीय न्याय संहिता, 2023	प्रश्न करने के लिए प्राधिकृत लोक सेवक को उत्तर देने से इंकार करना।	214
10.	भारतीय न्याय संहिता, 2023	कथन पर हस्ताक्षर करने से इन्कार करना	215
11.	भारतीय न्याय संहिता, 2023	न्यायिक कार्यवाही में बैठे हुए लोक सेवक का साशय अपमान या उसके कार्य में विघ्न।	267
12.	भारतीय न्याय संहिता, 2023	उपेक्षापूर्ण कार्य जिससे जीवन के लिए संकटपूर्ण रोग का संक्रमण फैलना संभाव्य हो।	271
13.	भारतीय न्याय संहिता, 2023	लोक जल–स्त्रोत या जलाशय का जल कलुषित करना	279
14.	भारतीय न्याय संहिता, 2023	लोक मार्ग या नौपरिवहन पथ में संकट या बाधा।	285

15.	भारतीय न्याय संहिता, 2023	अग्नि या ज्वलनशील पदार्थ के सम्बन्ध में उपेक्षापूर्ण आचरण।	287
16	भारतीय न्याय संहिता, 2023	विस्फोटक पदार्थ के बारे में उपेक्षापूर्ण आचरण।	288
17.	भारतीय न्याय संहिता, 2023	किसी निर्माण को गिराने, उसकी मरम्मत करने या संन्निर्माण करने के सम्बन्ध में उपेक्षापूर्ण आचरण।	290
18.	भारतीय न्याय संहिता, 2023	जीव–जन्तु के सम्बन्ध में उपेक्षापूर्ण आचरण	291
19.	भारतीय न्याय संहिता, 2023	अन्यथा अनुपबन्धित मामलों में लोक न्यूसेन्स के लिए दण्ड।	292
20.	भारतीय न्याय संहिता, 2023	अश्लील कार्य और गाने	296
21.	भारतीय न्याय संहिता, 2023	आपराधिक न्यायभंग	316 (1और 2)
22.	भारतीय न्याय संहिता, 2023	चुराई हुई सम्पत्ति	317 (1 और 2)
23.	भारतीय न्याय संहिता, 2023	छल	318 (1और 2)
24.	भारतीय न्याय संहिता, 2023	रिष्टि (नुकसान या हानि 1,000 रुपये के मूल्य तक हों।	324 (1 से 5 तक)
25.	भारतीय न्याय संहिता, 2023	जीव–जन्तु का वध करने या उसे विकलांग करने द्वारा रिष्टि। (1,000 रुपये के मूल्य तक)।	325
26.	भारतीय न्याय संहिता, 2023	आपराधिक अतिचार और गृह–अतिचार	329
27.	भारतीय न्याय संहिता, 2023	लोकशान्ति भंग कराने को प्रकोपित करने के आशय से साशय अपमान।	352
28.	भारतीय न्याय संहिता, 2023	मत्त व्यक्ति द्वारा लोक स्थान में अवचार	355
29.	टीका अधिनियम,1880 (1880 का 13)	धारा 22 के खण्ड (क) (ख) और (घ) के अन्तर्गत आने वाले अपराधों का दण्ड	धारा 22 के खण्ड (ग) के सिवाय।
30.	पशु अतिचार अधिनियम, 1871	पशुओं के अभिग्रहण का बलपर्वूक विरोध करना अथवा उन्हें छुड़ाना।	24
31.	पशु अतिचार अधिनियम, 1871	सुअरों द्वारा भूमि या फसलों और सार्वजनिक सड़कों को नुक्सान पहुंचाया जाना।	26
32.	हिमाचल प्रदेश किशोर (धूम्रपान निषेध) अधिनियम, 1952	बालकों को तम्बाकू बेचने के लिए शास्ति	3
33.	हिमाचल प्रदेश किशोर (धूम्रपान निषेध) अधिनियम, 1952	सार्वजनिक स्थान में किशोर से तम्बाकू का अभिग्रहण करना।	4
34.	सार्वजनिक द्यूत अधिनियम, 1867 (1867 का 2)	जुआघर का स्वामी होने या उसे चलाने या भार साधक होने के लिए शास्ति।	3
35.	सार्वजनिक द्यूत (पब्लिक गैंबलिंग) अधिनियम, 1867 (1867 का 2)	जुआघर में पाए जाने के लिए शास्ति	4
36.	सार्वजनिक द्यूत (पब्लिक गैंबलिंग) अधिनियम, 1867 (1867 का 2)	गिरफ्तार व्यक्तियों पर गलत नाम और पता देने के लिए शास्ति।	7
37.	सार्वजनिक द्यूत (पब्लिक गैंबलिंग) अधिनियम, 1867 (1867 का 2)	इस अधिनिमय की धारा 22, 158 और 187 के अधीन अपराध।	

AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT

Act No. 1 of 2026

THE HIMACHAL PRADESH PANCHAYATI RAJ (AMENDMENT) ACT, 2025

ARRANGEMENT OF SECTIONS

Sections:

1. Short title.
2. Amendment of section 2.
3. Amendment of section 4.
4. Amendment of section 5.
5. Amendment of section 5-B.
6. Amendment of section 7-A.
7. Amendment of section 9.
8. Amendment of section 31.
9. Amendment of section 32.
10. Amendment of section 33.
11. Amendment of section 38.
12. Amendment of section 39.
13. Amendment of section 40.
14. Amendment of section 41.
15. Amendment of section 60.
16. Amendment of section 64.
17. Amendment of section 76.
18. Amendment of section 99.
19. Substitution of section 115.
20. Amendment of section 120.
21. Insertion of section 121-C.
22. Amendment of section 122.
23. Amendment of section 133.
24. Amendment of section 134.
25. Amendment of section 142.
26. Amendment of section 144.
27. Amendment of section 145.
28. Substitution of section 151.
29. Amendment of section 152.
30. Amendment of section 155.
31. Amendment of section 158-R.
32. Amendment of section 160.
33. Amendment of section 160-A.
34. Amendment of section 161.
35. Amendment of section 167.
36. Amendment of section 169.
37. Amendment of section 172.
38. Amendment of section 186.
39. Amendment of section 190.
40. Substitution of SCHEDULE –III.

Act No. 1 of 2026

THE HIMACHAL PRADESH PANCHAYATI RAJ (AMENDMENT) ACT, 2025

(AS ASSENTED TO BY THE GOVERNOR ON 31ST DECEMBER, 2025)

AN

ACT

further to amend the Himachal Pradesh Panchayati Raj Act, 1994 (Act No. 4 of 1994).

BE it enacted by the Legislative Assembly of Himachal Pradesh in the Seventy-sixth Year of the Republic of India as follows:—

1. Short Title.—This Act may be called the Himachal Pradesh Panchayati Raj (Amendment) Act, 2025.

2. Amendment of Section 2.—In section 2 of the Himachal Pradesh Panchayati Raj Act, 1994 (hereinafter referred to as the "principal Act"),—

(a) in clause (22), for the words, sign and figures "section 2 of the Code of Criminal Procedure, 1973", the words, sign and figures "section 2 of the Bhartiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023" (46 of 2023) shall be substituted; and

(b) in clause (35), for the words, sign and figures "section 21 of the Indian Penal Code, 1860 " , the words, signs and figures "section 2 (28) of the Bhartiya Nyaya Sanhita, 2023" (45 of 2023) shall be substituted.

3. Amendment of Section 4.—In section 4 of the principal Act, after sub-section (3), the following shall be inserted, namely:—

"(4) If any person makes in connection with,—

(a) the preparation, revision or correction of an electoral roll; or

(b) the inclusion or exclusion of any entry in or from an electoral roll,

a statement or declaration in writing which is false and which he either knows or believes to be false or does not believe to be true, he shall be punished as per section 155.".

4. Amendment of Section 5.—In section 5 of the principal Act,—

(a) in sub-section (1),

(i) in second proviso,—

(A) after the words "Deputy Commissioner", the words "or the Director" shall be inserted;

(B) for the figures "30" and for the words "an extra-ordinary general meeting", the words "three" and "a special meeting" shall be substituted respectively; and

(ii) in third proviso for the word " thirty", the word "seven" shall be substituted;

(b) in sub-section (3),—

(i) after the word "general", the words "or a special" shall be inserted; and

(ii) in the end of the proviso for the sign"." the sign ":" shall be substituted and thereafter the following shall be inserted, namely:—

"Provided further that a special meeting organised for the purpose of awareness of general public and celebration of any day etc., shall not be adjourned for want of quorum.".

5. Amendment of Section 5-B.—In section 5-B of the principal Act, in sub-section (1), for the figure and words "8th March", the words "first Sunday of February" shall be substituted.

6. Amendment of Section 7-A.—In section 7-A of the principal Act, in sub-section (3), for the sign "." the sign ":" shall be substituted and thereafter the following shall be inserted, namely:—

"Provided that the Pradhan of the Gram Panchayat should be invited as a special invitee in the meetings of Up-Gram Sabha and the Pradhan may attend the said meetings.".

7. Amendment of Section 9.—In section 9 of the principal Act, in sub-section (1), the words "shall be public and" shall be omitted.

8. Amendment of Section 31.—In section 31 of the principal Act, in sub-section (1), for the words, sign and figures "the Criminal Procedure Code, 1973", the words, sign and figures "the Bhartiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023" (46 of 2023) shall be substituted.

9. Amendment of Section 32.—In section 32 of the principal Act, in sub-section (2),—

(a) for the words, sign and figures "section 125 of the Code of Criminal Procedure, 1973", the words, sign and figures "section 144 of the Bhartiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023" (46 of 2023) shall be substituted; and

(b) for the words "five hundred", the words "one thousand" shall be substituted.

10. Amendment of Section 33.—In section 33 of the principal Act, for the words "not exceeding one hundred", the words "which may extend to one thousand" shall be substituted.

11. Amendment of Section 38.—In section 38 of the principal Act,—

(a) in clause (b), for the words and figures "section 379 of the Indian Penal Code", the words, signs and figures "section 303(2) of the Bharatiya Nyaya Sanhita , 2023" (45 of 2023) shall be substituted; and

(b) in clause (c), for the words, sign and figures "sections 109 or 110 of the Code of Criminal Procedure, 1973 ", the words, sign and figures "sections 128 or 129 of the Bhartiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023" (46 of 2023) shall be substituted.

12. Amendment of Section 39.—In section 39 of the principal Act, for the words "two hundred", the words "one thousand" shall be substituted.

13. Amendment of Section 40.—In section 40 of the principal Act, for the words, sign and figures "section 202 of the Code of Criminal Procedure, 1973", the words, sign and figures "section 225 of the Bhartiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023" (46 of 2023) shall be substituted.

14. Amendment of Section 41.—In section 41 of the principal Act,—

(a) in sub-section (1), for the words "two thousand", the words "twenty five thousand" shall be substituted; and

(b) in sub-section (2), for the words "five thousand", the words "fifty thousand" shall be substituted.

15. Amendment of Section 60.—In section 60 of the principal Act, in sub-section (4), for the words, signs and figures "the Indian Evidence Act, 1872, the Code of Criminal Procedure, 1973" the words, signs and figures " the Bhartiya Sakshya Adhiniyam, 2023(47 of 2023), the Bhartiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023" (46 of 2023), shall be substituted.

16. Amendment of Section 64.—In section 64 of the principal Act,—

(a) in sub-section (2), for the words, sign and figures "section 7 of the Code of Criminal Procedure, 1973" , the words, sign and figures "section 7 of the Bhartiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023" (46 of 2023) shall be substituted ; and

(b) in sub-section (5), for the words, number, sign and figures "Chapter XXXIII of the Code of Criminal Procedure, 1973" , the words, number, sign and figures "Chapter XXXIV of the Bhartiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023" (46 of 2023) shall be substituted.

17. Amendment of Section 76.—In section 76 of the principal Act, for the words, signs and figures "section 75 of the Indian Penal Code, 1860 or section 356 or 360 of Code of Criminal Procedure, 1973 ", the words, signs and figures "section 13 of the Bhartiya Nyaya Sanhita, 2023 (45 of 2023) or sections 394 or 401 of the Bhartiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023" (46 of 2023) shall be substituted.

18. Amendment of Section 99.—In section 99 of the principal Act,—

(a) in sub-section (5), for the sign ".", the sign " : " shall be substituted and thereafter the following shall be inserted, namely:—

"Provided that for making the payment of salary, the amount from the Panchayat Samiti Fund may be withdrawn under the signature of the Secretary of the concerned Panchayat Samiti, for which *ex-post facto* approval shall be obtained from the House in its immediate next meeting."; and

(b) in sub-section (6), for the sign ".", the sign " : "shall be substituted and thereafter the following proviso shall be inserted, namely:—

"Provided that for making the payment of salary, the amount from the Zila Parishad fund may be withdrawn under the signature of the Secretary of the concerned Zila Parishad, for which *ex-post facto* approval shall be obtained from the House in its immediate next meeting.".

19. Substitution of Section 115.—For section 115 of the principal Act, the following shall be substituted, namely:—

"115. Recovery of arrears.—(1) The Secretary of the Panchayat shall take all necessary steps for the recovery of arrears of any tax, water rate, rent, fee, or any other sum claimable by the Panchayat from any person, by issuing a notice of recovery to such person.

(2) The Block Development Officer concerned shall furnish to the Collector the details of the amount recoverable, alongwith a list of persons from whom such amount is due, in respect of the Panchayat Samiti and the Gram Panchayat.

(3) The Chief Executive Officer concerned shall furnish to the Collector the details of the amount recoverable, alongwith a list of persons from whom such amount is due, in respect of the Zila Parishad.

(4) The amount claimable by a Panchayat may be recovered by the Collector as an arrear of land revenue:

Provided that the State Government may, by order, appoint any other officer to exercise the powers of the Collector under the Himachal Pradesh Land Revenue Act, 1953 (6 of 1954) .".

20. Amendment of Section 120.—In section 120 of the principal Act, after sub-section (3), the following shall be inserted, namely:—

"(4) If a Panchayat is not constituted due to *force-majeure* conditions or boycott by general public or due to some other reasons after the issue of election programme by the State Election Commission, the term of such Panchayat constituted later on shall run concurrently with other Panchayats of the State.".

21. Insertion of Section 121-C.—After section 121-B of the principal Act, following shall be inserted, namely:—

"121-C. Disqualification for failure to lodge account of election expenses.—If the authorised officer is satisfied that,—

(a) the candidate has failed to lodge an account of election expenses within the time and in the manner required by or under this Act; or

(b) the account lodged by the candidate are not in accordance with prescribed format, and

(c) the candidate has no good reason or justification for the failure mentioned in clause (a) or (b), above,—

he shall, forward the names of such contesting candidates to the District Election Officer, who shall by order published in the Gazette, declare such candidates disqualified for being chosen as, and for being office bearer, of a Panchayat for a period of three years from the date of publication of the order in the Gazette and declare the election of the elected office bearer to be void:

Provided that any such candidate may file an appeal to the Divisional Commissioner within a period of 30 days from the publication of such order and his order shall be final.".

22. Amendment of Section 122.—In section 122 of the principal Act,—

(a) in sub-section (1),—

(i) in clause (bb), after the words "section 180 of this Act", the words "unless a period of six years has elapsed from the date on which the finding of the authorised officer as to such practice has been given" shall be inserted;

(ii) in clause (d), after the words "for the time being in force", the words "unless a period of six years has elapsed since his conviction" shall be inserted;

(iii) in clause (e), for the words, sign and figures "section 110 of the Code of Criminal Procedure, 1973 ", the words, sign and figures "section 129 of the Bhartiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023" (46 of 2023) shall be substituted; and

(iv) the proviso to clause (n) shall be omitted;

(b) after sub-section (1), the following shall be inserted, namely:—

"(1-A) If an Ex-Office bearer is found guilty for loss, misappropriation, waste, or misapplication of any money or fund or other property of the Panchayat to which he has been a party, or which has been caused by him by misconduct or gross negligence of his duties unless a period of six years has elapsed since his demitting the office, shall be disqualified for being chosen as an office bearer of a Panchayat."; and

(c) in sub-section (2), after sign and figure "(1)", the words, signs, and figure "or sub-section (1-A)" shall be inserted.

23. Amendment of Section 133.—In section 133 of the principal Act, in sub-section (1), after the word "Director", the words "or any other officer authorised by him" shall be inserted.

24. Amendment of Section 134.—In section 134 of the principal Act,—

(a) in sub-section 2, in clause (g), after the words "Zila Parishad", the words "or the Director" shall be inserted; and

(b) in sub-section 3, in clause (g), after the words "Zila Parishad", the words "or the Director or the State Government" shall be inserted.

25. Amendment of Section 142.—In section 142 of the principal Act,—

(a) in sub-section (1), after the words and sign "office bearer,", the words and sign "Ex-office bearer during his tenure in the office" shall be inserted; and

(b) after sub-section (2), the following shall be inserted, namely:—

"(3) The responsibility of concerned regular, contractual, daily wage, outsourced or other scheme based employees like Junior Engineers, Gram Rojgar Sahayaks, Technical Assistants, Accountants and other similar workers engaged by the Panchayats and the Panchayati Raj department shall also be fixed, in case they fail to perform the duties assigned to them or do not perform such duties with due diligence or in accordance with the instructions.

26. Amendment of Section 144.—In section 144 of the principal Act, in sub-section 3, in clause (b), for the words, number signs and figures "Provisions of Chapter VII of the Code of Criminal Procedure, 1973", the words, signs, letters and figures "provisions of Chapter VII of the Bhartiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023" (46 of 2023) shall be substituted.

27. Amendment of Section 145.—In section 145 of the principal Act,—

(a) in sub-section (1),—

(i) for clause (a), the following shall be substituted, namely:—

"(a) who remained in custody for more than fourteen days on a criminal charge or otherwise or against whom charges have been framed in any criminal proceedings under chapter IV, VII, IX, X, XIII, sections 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 80, 88 to 94, 99 of chapter V, sections 103,104, 107, 108, 109, 141, 146 of chapter VI, sections 310(2) and (3), 311, 312, 316(4) and (5), 318(4), 326 (g), 331(6) and (8) of Chapter XVII and Chapter XVIII of the Bhartiya Nyaya Sanhita, 2023 or sections 39 to 59 of Chapter-VI of the Himachal Pradesh Excise Act, 2011(33 of 2012) or the Protection of Children from Sexual Offences Act, 2012 (32 of 2012)or the Prevention of Corruption Act, 1988 (49 of 1988) or any other law for the time being in force for the prevention of adulteration of food stuff and drugs, suppression of immoral traffic in women and children and protection of civil rights:

Provided that for suspending any office bearer under this clause there shall be no requirement to issue show cause notice alongwith chargesheet and any office bearer, placed under suspension against whom charges have been framed in any criminal proceedings shall remain under suspension, till the final decision of the competent court :

Provided further that the suspension of an office bearer placed under suspension after remaining in custody for more than fourteen days on a criminal charge or otherwise shall be revoked, if chargesheet is not produced by the investigating agencies in the competent court within six months from the date of custody;"; and

(ii) the proviso to sub-section (1) shall be deleted.

(b) for sub-section (2-A), the following shall be substituted, namely:—

"(2-A) No office bearer shall be placed under suspension under clause (c) of sub-section (1) or sub-section (2) unless he has been given an opportunity of being heard by issuing a show cause notice alongwith a copy of chargesheet or preliminary inquiry or inspection or audit report, as the case may be.";

(c) in sub-section (3), for the words, signs and figures "sub-section (1) or (2)", the words, signs and figures "clause (c) of sub-section (1) or sub-section (2)" shall be substituted; and

(d) after sub-section (3), the following shall be inserted, namely:—

"(3-A) In cases, where inquiry under section 146 is not completed within six months, the officer holding inquiry shall furnish reasons in writing to concerned authority and further, one time extension for six month may be given.

(3-B) Where the delay is on the part of the elected representative for non-cooperation in the inquiry in accordance with law, the suspension order shall not be revoked after expiry of six months and the inquiry officer shall further proceed for *ex-parte* inquiry within stipulated period.

(3-C) The order of revocation of suspension under sub-section (3) of said section shall not affect the inquiry under section 146 until it is concluded."; and

(e) in sub-section (4), for the sign ".", the sign ":" shall be substituted and thereafter the following shall be inserted, namely:—

"Provided that in case the elected office bearers of a Panchayat are suspended to the extent that the number of remaining elected office bearers do not fulfill the quorum required for convening a meeting of the Panchayat, then the State Government or the authority as may be prescribed, may constitute a committee of persons alongwith head of such committee on the recommendations of Gram Sabha concerned, to exercise the powers, perform the duties and discharge the functions of the Panchayat until the final decision is pending on such suspended office bearers.".

28. Substitution of Section 151.—For section 151 of the principal Act, the following shall be substituted, namely:—

"151. Penalty for acquisition by a member, office bearer or servant of interest in contracts.—If a member or office bearer or servant of Panchayat knowingly acquires, directly or indirectly any personal share or interest in any contract or employment with, by or on behalf of a Panchayat, he shall be deemed to have committed an offence under section 202 of the Bhartiya Nyaya Sanhita, 2023 (45 of 2023).

"Explanation.—For the purposes of this section "servant of panchayat" shall include all the employee who are serving in Panchayats irrespective of appointing authority not being the Panchayat and irrespective of the source of their remuneration.".

29. Amendment of Section 152.—In section 152 of the principal Act, for the words, sign and figures "section 341 of the Indian Penal Code, 1860" , the words, signs and figures "section 126 (2) of the Bhartiya Nyaya Sanhita, 2023" (45 of 2023) shall be substituted.

30. Amendment of Section 155.—In section 155 of the principal Act, the existing provision shall be numbered as (1) and thereafter the following shall be inserted, namely:—

"(2) If any person makes in connection with, the inclusion or exclusion of any entry in or from an electoral roll, a statement or declaration in writing which is false and which he either knows or believes to be false or does not believe to be true, he shall be punished with fine of five thousand rupees.".

31. Amendment of Section 158-R.—In section 158-R of the principal Act,—

(a) in heading, after the words "distributed on Polling day", the words "and counting day" shall be inserted; and
(b) in sub-section (1), after the words " in that polling area", the words "and on the day of counting" shall be inserted.

32. Amendment of Section 160.—In section 160 of the principal Act, in sub-section (1), at the end for the sign "." the sign " : " shall be substituted and thereafter the following shall be inserted, namely:—

"Provided that only such person shall be considered for appointment as State Election Commissioner who has worked for twenty years in a Group-A or Class-I post in the

Central or State Government with experience of conducting elections and there is no vigilance or departmental case pending against him:

Provided further that the Vigilance Clearance Certificate shall also be obtained before making appointment.".

33. Amendment of Section 160-A.—In section 160-A of the principal Act, for the words "State Government", wherever occurs the words "District Election Officer" shall be substituted.

34. Amendment of Section 161.—In section 161, in clause (iii), for the word "Commissioner", the words "Divisional Commissioner" shall be substituted.

35. Amendment of Section 167.—In section 167 of the principal Act, in sub-section (2), for the words, sign and figures "Indian Evidence Act, 1872" , the words, sign and figures "Bhartiya Sakshya Adhiniyam , 2023" (47 of 2023) shall be substituted.

36. Amendment of Section 169.—In section 169 of the principal Act, for the words, sign and figures "sections 345 and 346 of the Code of Criminal Procedure, 1973 " , the words, sign and figures "sections 384 and 385 of the Bhartiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023" (46 of 2023) shall be substituted.

37. Amendment of Section 172.—In section 172 of the principal Act, for the words, number, signs and figures "Chapter IX-A the Indian Penal Code, 1860" , the words, number, sign and figures "Chapter IX of the Bhartiya Nyaya Sanhita, 2023" (45 of 2023) shall be substituted.

38. Amendment of Section 186.—In section 186 of the principal Act, in sub-section (3), after the words "All rules", the words " except the rules framed under section 135(2)", shall be inserted.

39. Amendment of Section 190.—In section 190 of the principal Act, for the words, sign and figure, "the meaning of section 21 of the Indian Penal Code, 1860", the words, signs and figures "the meaning of section 2(28) of the Bhartiya Nyaya Sanhita, 2023" (45 of 2023) shall be substituted.

40. Substitution of SCHEDULE III.—For SCHEDULE-III appended to the principle Act, the following shall be substituted, namely:—

"SCHEDULE-III
(*See* section 32)

OFFENCES COGNIZABLE BY A GRAM PANCHAYAT

No. 1	Name of Act/Code 2	Offence 3	Section 4
1.	Bhartiya Nyaya Sanhita, 2023	Voluntarily causing hurt	115
2.	Bhartiya Nyaya Sanhita, 2023	Voluntarily causing hurt on provocation	122 (1)
3.	Bhartiya Nyaya Sanhita, 2023	Wrongful restraint	126
4.	Bhartiya Nyaya Sanhita, 2023	Punishment for assault or criminal force otherwise than on grave provocation.	131

5.	Bhartiya Nyaya Sanhita, 2023	Affray	194
6.	Bhartiya Nyaya Sanhita, 2023	Absconding to avoid service of summons or other proceedings.	206
7.	Bhartiya Nyaya Sanhita, 2023	Preventing service of summons or other proceedings, or preventing publication thereof.	207
8.	Bhartiya Nyaya Sanhita, 2023	Refusing oath or affirmation when duly required by a public servant to make it.	213
9.	Bhartiya Nyaya Sanhita, 2023	Refusing to answer a public servant authorised to question.	214
10.	Bhartiya Nyaya Sanhita, 2023	Refusing to sign statement	215
11.	Bhartiya Nyaya Sanhita, 2023	Intentional insult or interruption to public servant sitting in judicial proceeding.	267
12.	Bhartiya Nyaya Sanhita, 2023	Negligent act likely to spread insfection of disease dangerous life.	271
13.	Bhartiya Nyaya Sanhita, 2023	Fouling the water or public spring or reservoir.	279
14.	Bhartiya Nyaya Sanhita, 2023	Danger of obstruction in public way or line of navigation.	285
15.	Bhartiya Nyaya Sanhita, 2023	Negligent conduct with respect to fire or combustible matter.	287
16.	Bhartiya Nyaya Sanhita, 2023	Negligent conduct with respect to explosive substance.	288
17.	Bhartiya Nyaya Sanhita, 2023	Negligent conduct with respect to pulling down, repairing as contructing buildings, etc.	290
18.	Bhartiya Nyaya Sanhita, 2023	Negligent conduct with respect to animal	291
19.	Bhartiya Nyaya Sanhita, 2023	Pubishment for public nuisance in cases not otherwise provided for.	292
20.	Bhartiya Nyaya Sanhita, 2023	Obscene acts and songs	296
21.	Bhartiya Nyaya Sanhita, 2023	Criminal breach of trust	316 (1) and (2)
22.	Bhartiya Nyaya Sanhita, 2023	Stolen property	317 (1) and (2)
23.	Bhartiya Nyaya Sanhita, 2023	Cheating	318 (1) and (2)
24.	Bhartiya Nyaya Sanhita, 2023	Mischief (causing damage to property or loss up to Rs. 1000/-).	324 (1) and (5)
25.	Bhartiya Nyaya Sanhita, 2023	Mischief by killing or maiming animal (value of up to Rs. 1000/-).	325
26.	Bhartiya Nyaya Sanhita, 2023	Criminal trespass and house-trespass	329
27.	Bhartiya Nyaya Sanhita, 2023	Intentional insult with intent to provoke breach of peace.	352
28.	Bhartiya Nyaya Sanhita, 2023	Misconduct in public by a drunken person	355
29.	The Vaccination Act, 1880 (Act XIII) of 1880.	Punishment of offences covered by clauses (a), (b) and (d) of section 22.	22 except clause (c)
30.	The Cattle Trespass Act, 1871.	Forcibly opposing the seizure of cattle or re-securing the same.	24
31.	The Cattle Trespass Act, 1871.	Causing damage to land or crops or public roads by pigs.	26
32.	The Himachal Pradesh Juveniles (Prevention of Smoking) Act, 1952.	Penalty for selling tobacco to children	3
33.	The Himachal Pradesh Juveniles (Prevention of Smoking) Act, 1952.	Seizure of tobacco from juveniles in a public place	4
34.	The Public Gambling Act, 1867 (II of 1867).	Penalty for owning or keeping or having charge of gambling house.	3
35.	The Public Gambling Act, 1867 (II of 1867).	Penalty for being found in a gamblig house	4

36.	The Public Gambling Act, 1867 (II of 1867).	Penalty on persons arrested for giving false names and address.	7
37.	The Public Gambling Act, 1867 (II of 1867).	Offences under sections 22, 158 and 187 under this Act.".	

विधि विभाग

अधिसूचना

शिमला–2, 8 जनवरी, 2026

संख्याः एल.एल.आर.–डी.(6)–12 / 2020–लेज.––भारत के राष्ट्रपति ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 201 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कारखाना (हिमाचल प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2020 (2020 का विधेयक संख्यांक 7) को दिनांक 07–10–2025 को अनुमोदित कर दिया है तथा हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अधीन विधेयक के अंग्रेजी पाठ को राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित करने के लिए प्राधिकृत कर दिया है। अतः उपरोक्त विधेयक को वर्ष 2026 के अधिनियम संख्यांक 2 के रूप में अंग्रेजी प्राधिकृत पाठ सहित राजपत्र (ई–गजट) हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किया जाता है।

आदेश द्वारा,

हस्ताक्षरित / –
(डॉ0 विवेक ज्योति),
संयुक्त विधि परामर्शी एवं संयुक्त सचिव (विधि)।

2026 का अधिनियम संख्यांक 2

कारखाना (हिमाचल प्रदेश संशोधन) अधिनियम, 2020

धाराओं का क्रम

धारा :

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ।
2. धारा 2 का संशोधन।
3. धारा 65 का संशोधन।
4. धारा 85 का संशोधन।
5. धारा 106ख का अन्तःस्थापन।
6. 2020 के हिमाचल प्रदेश अध्यादेश संख्यांक 5 का निरसन और व्यावृत्तियाँ।